तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर ... हुक्म ... में जारी

2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हैं तो ''बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के सिद्वान्त पर पृथक्–पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस में लाल सूर्ख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.06.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार पाटन को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 25.06.2025 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

25/6 पत्रावली पुरी हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O. साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली एवं आदेशानुसार दिनांक 8/9/25 को पेश हो।

15/07/2025

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्रि की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्रि की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति जताते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्रि फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested

ब	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्रि की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी तहसीलदार पाटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्रि किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्रि का का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्रि जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)नीमकाथाना

सहायक कलेक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. बलराम यादव पुत्र मदनलाल यादव जाति अहीर निवासी ढाणी मंगलावकावाली तन आगवाडी पोस्ट भगेगा शहर तहसील नीमकाथानां जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. अमित पुत्र मामचन्द जाति अहीर निवासी खरकडा जिला सीकर वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 40 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रामनिवास यादव एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।** ....बाबत.......................................खर्चा इस मुकदमें .निज......................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15** माह **07** सन् **2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा..............
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	-	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फी[illegible]		
फीस कमिश्नर			ब[illegible] इज[illegible]		
बाबत इजराय			हुक्मना[illegible]		
हुक्मनामा			मुतफ[illegible]		
मुतफरिक			मीज[illegible]		
मीजान					

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested